न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्थान

उनवान ..... मुकदमा नं. .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/5/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत के लिए [illegible] हेतु [illegible] लोक अदालत [illegible] एवं वकील पक्षकारान [illegible] कैम्प. [illegible] में दिनांक 30/5/18 को पेश हो।	
30/5/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प बसई जोगियान में पेश हुई। बार-बार आवाज दिलायी गई। वादी व वकील वादी अनु०। अतः दावा वादीगण वो वकील वादी की अनुपस्थिति में आम हाजरी व आम पैरवी में खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नकल से कम की जाकर वाद तकील दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner